

कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग

प्र0क्र0 30 अ-82/16-17/हथनापुर/ 1607 बैतूल दिनांक 10-5-2019
13-5-19

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	हथनापुर	0.316	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे0 में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	सुन्दरलाल वल्द डोमा सा. देह	15/1	0.200	0.024
2	हीराजी वल्द गोमा, किसन वल्द मुक्का, नत्थु, धनजी, पूरन वल्द दम्मन, रखिया पिता दम्मन, हीरालाल, देवना, गोदा वल्द तेजी, पुनिया, गोधी पिता तेजी, लखन, शंकर बमत वल्द बाजेराव, मटरबाई बेवा बाजेराव, बवली पिता लखन, सकुन बेवा लखन, सुभद्रा, गुनी, कपूरा, लता पिता बाजेराव, झनक, दानाजी, सिपत सगन पिता धुंदु मना बेवा धुंदु सा. देह	261	0.113	0.032
3	राजकुमार ना.बा. वल्द नत्थु वली पिता नत्थु वल्द दम्मन जाति भोयर सा.देह	262/1	0.203	0.065
4	भबूत सावन्या, धुन्दू वल्द केशो जाति भोयर सा.देह	223	0.380	0.023
5	चैती बेवा भीक्या, शाकर वल्द भीक्या जाति पंवार सा.देह	203	0.138	0.010
6	विनोदी वल्द बाजेराव जाति पंवार सा.देह	204/1	0.117	0.002
7	मदन वल्द राजेराम सा.देह	419/1	0.300	0.058
8	फकीर, चन्द, महादेव वल्द बाजी सुइला, दसिया, उजरी, नानी पिता घुस्सी, पुना, श्यामू ना.बा.व अमरया वली मां भागवती भागवती बेवा अमरया सा.देह	420	3.310	0.102
योग			4.761	0.316

- (2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार ,



TRP

(तरुण कुमार पिथोड़े)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

L

पृ० क्रमांक 30/अ-82/16-17/हथनोरा/ 4507 बैतूल दिनांक 10.05.2019
प्रतिलिपि:- 13.5.2019

- 1- उपनियंत्रक शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक जनसम्पर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करे।
- 3- उप मुख्य अभियंता मध्य रेल्वे अंजनी नागपुर (महा०) को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराने हेतु अग्रषित।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत हथनापुर तहसील मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


अपर कलेक्टर एवं
प्र०अ० भू-अर्जन बैतूल